राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक 2(4)न्याय/96 जयपुर, दिनांक 21 Nov 2012

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर ।

विषय :- नवसृजित विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, संख्या-3 जयपुर, पाली हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ :- इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08.11.2012.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दि0 08.11.12 द्वारा सृजित एवं स्थापित विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, संख्या-03 जयपुर, पाली हेतु निम्नलिखित अस्थाई पद, पद भरे जाने क तिथि से दिनांक 28.02.2013 तक सृजित करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदया की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	*नाम पद*	*पे स्केल / पे बेन्ड*	*ग्रेड पे*	*पदों की संख्या*
1	पीठासीन अधिकारी	51550-63070	-	3 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
2	सीनीयर पी.ए.	PB-2 (9300-34800)	4200	3 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
3	सीनीयर रीडर	PB-2 (9300-34800)	3200	3 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
4	वरिष्ठ लिपिक	PB-1 (5200-20200)	2400	3 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
5	कनिष्ठ लिपिक	PB-1 (5200-20200)	1900	3 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 1-1 पद)
6	च0श्रे0 कर्मचारी	(4750-7440)	1300	12 पद (प्रत्येक न्यायालय हेतु 4-4 पद)

उपरोक्त विशिष्ठ न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, संख्या-3 जयपुर, पाली हेतु नवीन आईटम्स क्रय करने के लिए प्रति न्यायालय 3.14 लाख रू0 की राशि निम्न प्रकार स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	*मद*	*राशि (प्रति न्यायालय)*
1	फर्नीचर हेतु	2.50 लाख
2	टेलीफोन-2(दो) हेतु	0.02 लाख
3	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर हेतु	0.62 लाख
	योग	3.14 लाख

उक्त विशिष्ठ न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का व्यय बजट शीर्ष 2014-न्याय प्रशासन 00-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय, (01)-जिला और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के न्यायालय, [00]-(गैर आयोजना) के अन्तर्गत चालू वितीय वर्ष 2012-12 हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान में से वहन किया जायेगा उक्त न्यायालय हेतु भवन निर्माण के प्रस्ताव भूमि उपलब्ध होने पर फोरकास्ट ऐस्टीमेट सहित प्रस्तुत किये जायेंगे ।

लगातार.........2

यह स्वीकृति वित (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 101204181/FD/E/2012 दिनांक 07.11.2012 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है ।

भवदीय,

सही/-

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।
2. वित्त (नियम-5) वित बजट विभाग ।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच ।
4. रक्षित पत्रावली

सही/-
उप शासन सचिव

राजस्थान उच्च न्यायाल, जोधपुर

क्रमांक : जी/आई/ए-4(i)(a)146/12/4891 दिनांक : 22.11.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अजमेर, जयपुर महानगर एवं पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

02. विशिष्ठ न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, संख्या-03 जयपुर एवं पाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

03. लिपिक स्थापना (आरजेएस) को न्यायिक अधिकारीयों के पद सृजन की सूचना के संधारण एवं न्यायिक अधिकारियों के केडर स्ट्रेन्थ के संधारण तथा इससे अन्य संबंधित कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04. न्यायालय सृजन लिपिक को न्यायालय सृजन हेतु पदों के सृजन के इस कार्यालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से मिलान एवं न्यायालय सृजन के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

05. सहायक लेखाधिकारी (बजट) को वेतन तथा भत्तों तथा अन्य बजट संबंधी कार्यवाही के के संदर्भ आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

06. प्र.अ.न्या. (भवन शाखा), राजस्थान उच्च न्यायालय को भवन संबंधी कार्यवाही के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

07. A.O.J.(Classification) (Website), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / पीठ जयपुर, जयपुर को Upload करने बाबत ।

रजिस्ट्रार (प्रशासन)